

अनुमति की शर्तें ।

- (1) उक्त नगर/पुराणिक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कोई अनवरतवित्त नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी स्तरीयता के लिए अनवरतवित्त होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आदेशक निर्माण को स्थित करेगा ।
- (4) स्वीकृत भवन के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

शुद्ध जेडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 293 दिनांक 04-02-2021

प्रणाली प्रणाली द्वारा देवी दाऊ जी ओर प्रकार

के राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 104 (1) (ग) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर मानचित्रण राशि रुपये 5921/- जमा

करिये सीड संख्या 3063/1887, 1888

दिनांक 04-02-2021 को जमा करा दी है ।

P.No. 8/268 चर्चामनी हाउसिंग बोर्ड

जी+
आवासीय

04/02/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Sandra

Jitendra Joshi

9571463039